बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–112/2022 - 2130 /पटना, दिनांक–09/5/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL.No	Name of Division	Block	Project ID	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kahalgoan	Sanhaula	20703402016	REO Road Ghutiyani to Srimatpur	4.056	150.096	37.572	15.010	202.68
2	Kahalgoan	Sanhaula	20703402017	REO Road Maderganj to Gangarampur	7.060	248.844	62.594	24.884	336.322
3	Kahalgoan	Sanhaula	20703302014	RCD Road to Arar	4.519	109.793	34.613	10.979	155.39
4	Kahalgoan	Sanhaula	20703402011	RCD Path Fajilpur to Lakshmipur	4.267	163.142	38.376	16.314	217.832
5	Kahalgoan	Kahalgoan	20703412003	Gopalpur Phatak to Aadarsh Nagar Fulkiya	1.500	71.249	11.550	7.125	89.92
6	Kahalgoan	Kahalgaon	27341340639	PWD Path to Dhanaura hote hue santhali tola sri mahesh Singh ke ghar hote REO Road tak	1.930	74.890	9.581	7.489	91.96
7	Kahalgoan	Kahalgaon	27341348388	Railway Ultapul janmohammadpur to Nandlalpur Mukhya Sadak tak via kalgiganj Navtolia	3.380	95.166	21.670	9.517	126.353
8	Kahalgoan	Kahalgaon	27341896600	NH 80 to Maheshamunda High School Via Ogri	4.400	120.832	40.693	12.083	173.61
9	Kahalgoan	Kahalgaon	20703403010	Kasari PMGSY To Chandipur Pahari Tola Tak	4.918	110.762	39.794	11.076	161.63
10	Kahalgoan	Kahalgaon	20703202048	Ekdara to Dayalpur	2.215	101.497	18.539	10.150	130.186
11	Kahalgoan	Kahalgaon	20703402060	L047- L021 to Mohanpur Gohatta (VR32)	2.375	106.060	17.041	10.606	133.707
12	Kahalgoan	Pirpainti	20703408030	Dulduliya Rail Road to Amapali Via Bariya Madhuban	5.340	246.734	41.702	24.673	313.11
13	Kahalgoan	Pirpainti	20703402008	Rajgaon to Makrampur	4.150	133.574	32.178	13.357	179.11
14	Kahalgoan	Pirpainti	20703405014	Simanpur more Rifatpur village to Kanchu Ram House	2.647	47.308	21.231	4.731	73.270
15	Kahalgoan	Pirpainti	20703402090	Moul Tola to Budhu Chak	4.050	111.618	30.123	11.162	152.90
16	Kahalgoan	Pirpainti	20703402072	L059- Badi Dilauri L049 to Vinowa Tola (VR43)	2.026	140.186	18.075	14.019	172.280
17	Kahalgoan	Sabour	20703402044	NH-80 Purani Masadhu	1.739	61.426	14.137	6.143	81.706
18	Kahalgoan	Sabour	20703412007	NH-80 to (Barari) to Mirachak	3.042	125.393	22.077	12.539	160.009
19	Kahalgoan	Sabour	20703401003	Kumhar Tola Kurpat to Chai tola	1.300	37.931	10.214	3.793	51.938
			Total		64.914				3003.911

5/5/2022

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव** के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत् MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–104 /2022 में दिनांक–**26.03.2022** को प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 5.5.2022 को संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–112/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रकियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा

16. एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–112/2022 **के पृ0–10/टि0** पर **दिनांक**–02-5-22 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/5/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–112/2022**-2130 /पटना, दिनांक– 09/5/2022
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–112**/2022 - 2130 /पटना, दिनांक– 09/5/2022
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **भागलपुर** /जिला पदाधिकारी, **भागलपुर** /उप विकास आयुक्त, **भागलपुर** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2** एवं **4**, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **भागलपुर** /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **कहलगॉव** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को **MIS** में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/5/2022

विशेष सचिव